Ex.P-421

D-397

Crime No - 3/15 II--157
C.J.

Witness No. 01 for LCA-GIPC Statement Deposition taken

the 16.03.15 day of Monday. Witness's apparent age 39 Y

States on affirmation my name is Harish Soni

son of Vijay Soni occupation J. Technical Asst.

address Satyam Vihar Colony - Mahadevghat Road, Raipur, Raipur(C.G.)

समय–1:20 बजे

1– मैं सितम्बर 2014 से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, कांकेर में पदस्थ हूँ। वर्तमान में निलंबित हूँ।

2– प्रत्येक वर्ष खरीफ वर्ष नवम्बर–दिसम्बर में मार्कफेड द्वारा किसानों से धान क्रय किया जाता है जिसका अनुबंध मार्कफेड द्वारा राईस मिलर से किया जाता है। राईस मिलर्स उठाए गए धान का 67 प्रतिशत चावल बनाकर शासन के नियमानुसार 25 प्रतिशत कनकी का चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अनुबंधित राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम में जमा करते है।

3– राईस मिलर द्वारा जमा किए गए चावल शासन द्वारा निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का है या नहीं, इस हेतु कांकेर जिले में मेरे द्वारा तथा प्रदेश के अन्य जिलों में नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा चावल का नमूना लिया जाता है।

4– परीक्षण करते समय हम ब्रोकन/फोरेन मेटर/डेमेज/डिस्कलर/चाकी/रेड/एल.जी.(लोअर ग्रेड)/डिहस्ट(चावल की चमक) के प्रतिशत को देखते है। ब्रोकन 25 प्रतिशत, फोरेन मेटर 0.5 प्रतिशत, डेमेज 3 प्रतिशत, डिस्कलर 3 प्रतिशत, चाकी 5 प्रतिशत, रेड ग्रेन 3 प्रतिशत, एल.जी. 6 प्रतिशत, डिहस्ट 13 प्रतिशत, मॉईश्चर 14 प्रतिशत शासन द्वारा किसी चावल को पास किए जाने का निर्धारित मापदंड है। यदि उपरोक्त मापदंड से अधिक कोई चीज किसी चावल में पायी जाती है तो वह लॉट अस्वीकृत कर दिया जाता है।

5– यदि शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त मापदंड का लॉट स्वीकृत किया जाता है तो परीक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है।

6– मेरे उच्च अधिकारी जिला प्रबंधक होते है जो प्रत्येक जिले में मेरे पद के मुख्य अधिकारी होते है। जैसे ही प्रतिवर्ष नवम्बर–दिसम्बर में चावल के उपार्जन का कार्य प्रारंभ होता है तब जिला प्रबंधक द्वारा प्रत्येक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निर्देश दिया जाता है कि शासन के नियमानुसार गुणवत्ता का पालन करते हुए डायल गेज(वह मशीन जिससे हमारे द्वारा चावल की लंबाई नापी जाती है), केमिकल टेस्ट जिससे डिहस्ट

P.T.O.

देखा जाता है का उपयोग प्रत्येक लॉट में कड़ाई से करे एवं नियम में किसी प्रकार की कोताही न बरतें ।

7— वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक राईस मिलर निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड का चावल जमा करता है । राईस मिलर उपरोक्त कड़ाई से पालन करने वाले नियम से परेशान होने लगते है । यदि किसी राईस मिलर का एक लॉट हमारे द्वारा अमानक कर दिया जाता है तो राईस मिलर्स को लोडिंग, अनलोडिंग, हमाली, ट्रांसपोर्टेशन, वेट लॉस के रूप में लगभग 12 से 15 हजार रूपए प्रति लॉट का नुकसान होता है ।

8— राईस मिलर परीक्षण के दौरान अमानक होने के कारण उक्त नुकसान से बचने हेतु जिला प्रबंधक से मिलते है । जिला प्रबंधक द्वारा मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर राईस मिल एसोसिएशन के सदस्यों से बैठक की जाती है । बैठक में मुख्यालय के अधिकारी एवं जिला प्रबंधक की सहमति से रिश्वत राशि तय की जाती है तथा यह भी तय किया जाता है कि शासन के निर्धारित मापदंड का कड़ाई से पालन न हो और 1–2 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

9— इसके बाद जिला प्रबंधक द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक को बुलाकर निर्देशित किया जाता है कि केमिकल टेस्ट न करे और निर्धारित गुणवत्ता में 27–28 प्रतिशत तक ब्रोकन आने पर भी चावल को पास करे । मुझे भी मेरे जिला प्रबंधक द्वारा बुलाकर उक्त निर्देश दिया गया था ।

10— जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिला प्रबंधक के उक्त निर्देश का पालन नहीं करता है और शासन के नियमानुसार ही कार्य करता है उसका बारंबार स्थानांतरण किया जाता है एवं जिला प्रबंधक द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा लिए गए मानक स्तर के चावल का भी सेम्पल निकालकर मुख्यालय के प्रयोगशाला में भेज दिया जाता हैं जहाँ पर इस संदर्भ में उक्त सेम्पल को फेल कर दिया जाता है एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निलंबित कर दिया जाता हैं । इसी कारण प्रत्येक कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिला प्रबंधक की बात मानते है ।

11— मेरे द्वारा मेरे जिला प्रबंधकों के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर मुझे दो बार निलंबित किया गया, 2 वर्ष में रायपुर जिले में 11 बार स्थानांतरित किया गया एवं रायपुर के तत्कालीन जिला प्रबंधक द्वारा मेरे द्वारा जॉच किए गए चावल का गोदाम से सेम्पल निकालकर मुख्यालय में भेज दिया गया । मुख्यालय से परीक्षण रिपोर्ट आने के 1 दिन पूर्व ही जिला प्रबंधक, रायपुर द्वारा प्रबंध संचालक को अर्द्धशासकीय पत्र मेरे विरूद्ध लिखा गया एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी जिसके चलते 9 मई, 2014 को मुझे निलंबित कर जिला कार्यालय, जशपुर संलग्न किया गया था ।

12— इसके बाद सितम्बर, 2014 में मुझे बहाल करके कांकेर भेज दिया गया । कांकेर में मेरी पदस्थापना के बाद 2–3 माह तक मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया । कांकेर जिले में 3 उपार्जन केन्द्र है तथा 1 वर्ष में लगभग 10 लाख क्विंटल चावल का उपार्जन हो जाता है । राईस मिलर द्वारा गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड से कम चावल को स्वीकृत कराए जाने हेतु

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—FS/59—5/2012—4,00,000.

V-182

जिला प्रबंधक को जो राशि दी जाती है उसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष राईस मिलर के पदाधिकारी एवं प्रबंधक की मीटिंग में तय होती है लगभग-लगभग प्रत्येक जिला प्रबंधक 8/- रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राईस मिलर से रिश्वत लेते है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिला प्रबंधक द्वारा ली जाने वाली राशि में से आधी राशि मुख्यालय भेजी जाती है और शेष आधी राशि में आधी राशि जिला प्रबंधक स्वयं रखता है तथा शेष आधी राशि को जिले में पदस्थ अन्य कर्मचारियों में वितरित की जाती है।

13- इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि यदि किसी एक जिले में गोदाम में जगह नहीं होती है तो जिला प्रबंधक नये गोदाम को अलॉट करते है। इस प्रकार का निर्णय जिला प्रबंधक अपने स्तर पर लेता है। यदि किसी राईस मिलर की कई सारी गाड़ियाँ गोदामों में जगह नहीं होने के कारण खड़ी रहती है तब जिला प्रबंधक राईस मिलर से अवैध राशि लेकर गोदाम की व्यवस्था करता है।

14- मुख्यालय की अनुमति से एक जिले से दूसरे जिले में चावल का परिवहन किया जाता है। इस हेतु मुख्यालय द्वारा टेण्डर के माध्यम से परिवहनकर्ता नियुक्त किया जाता है। परिवहनकर्ता जीएम की अनुमति से संबंधित जिले में परिवहन करते है। इस प्रक्रिया में राईस मिलर, परिवहनकर्ता तथा जी.एम. मुख्यालय के अधिकारियों से सॉठगॉठ कर आदेश जारी कराते है और इसके बाद जब गोदाम खाली होता है तब जिला प्रबंधक राईस मिलर से सॉठगॉठ कर उक्त गोदाम में चावल रखते है।

15- मुख्यालय द्वारा सदैव कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरूद्ध ही निर्धारित मापदंड का चावल नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की जाती है जबकि संबंधित राईस मिलर एवं प्रबंधक के विरूद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कनिष्ठ तकनीकी सहायक चावल की गुणवत्ता का परीक्षण मेनुअल करता है। यदि उसके द्वारा परीक्षण किए जाने के कुछ समय बाद पुनः परीक्षण किया जाता है तो कोई न कोई कमी समय काल के कारण आ ही जाती है इसी का लाभ उठाकर कनिष्ठ तकनीकी साहयक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

16- इसके विपरीत भारतीय खाद्य निगम द्वारा अमानक स्तर का चावल देने वाले राईस मिलर को ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाता है जिसके कारण वे लोग कही भी चावल जमा नहीं कर पाते है। इसी कार्यवाही के डर से राईस मिलर भारतीय खाद्य निगम में निर्धारित गुणवत्ता का चावल जमा करते है और छत्तीसगढ़ में अमानक स्तर का चावल जमा करते है।

17- मेरे द्वारा आज दिनांक तक चावल खरीदी के संबंध में होने वाले किसी भी आर्थिक लेनदेन में कोई रूपया प्राप्त नहीं किया गया है। गुणवत्ताविहीन चावल क्रय किए जाने के संबंध में जो भी अवैध राशि प्राप्त की गयी है वह जिला प्रबंधक एवं मुख्यालय के अधिकारियों के बीच वितरित की गयी है।

शासकीय ... , राजनांदगांव - 48-70 -5-2012 - 3,00,000

18— मेरे पास उक्त राशि के वितरण का कोई प्रमाण नहीं है । मुझे विभाग में हुई चर्चाओं से जानकारी प्राप्त हुई है ।

नोट :— मैंने कथनकर्ता हरिश सोनी पिता–विजय सोनी को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता हरिश सोनी से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर–दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढ़कर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है । उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा एवं सही वृत्तांत है ।

वाचित / स्वीकृत

(सदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

(सदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर .....

True Copy

(सदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)